रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3321] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 10, 2019/आश्विन 18, 1941
No. 3321] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 10, 2019/ ASVINA 18, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3651(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 4774(अ), तारीख 10 सितम्बर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 10 सितम्बर, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, पूर्वोक्त केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युतर में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार किया गया था;

और, मेगामलाई वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु राज्य में थेनी और मदुरई के राजस्व जिलों के अंतर्गत दक्षिणी पश्चिमी घाटों में अक्षांश 09^{0}37'से 09^0 57' उ और देशांतर 77^0 11' से 77^{0}42' पू में स्थित है, राजस्व विभाग अधिकारी उपामापलायान, कुंबम पंचायत के अध्यक्ष वाली समिति द्वारा पारित संकल्प के अनुसार, मेगामलाई वन्यजीव अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 269.10 वर्ग किलोमीटर (26910.815 हेक्टेयर) को घोषित किया गया है तथा एक पारिस्थितिकी विज्ञानी ने तारीख 04.01.2013 को लोकहित में और वन संरक्षण के लिए कुंबम वन विश्राम गृह में संकल्प पारित किया और तारीख 13.01.2013 को पुन: सभी 21 वस्तुओं सहित पुन:- संकल्प पारित किया; 19.01.2013 को राजस्व विभाग अधिकारी, उसीलामपट्टी और अध्यक्ष, इलूमलाई नगर पंचायत और नगरपालिका के अध्यक्ष, उसीलामपट्टी ने 20 वस्तुओं का संकल्प पारित किया;

और, गंडामनूर पूर्व खंड के लिए, समिति की बैठक तारीख 21.01.2013 को राजस्व विभाग अधिकारी पेरियाकुलम की अध्यक्षता में जिला पिछड़ा कल्याण कार्यालय के कक्ष में हुई थी और वन्यजीव वार्डन और पारिस्थितिकी विज्ञानी के साथ स्थानीय निकायों निर्वाचित सदस्यों अध्यक्ष, गंडमनयकानूर, थेप्पम्पाट्टी, पलायककोट्टई और कदमालिकुंड ने भाग लिया था। संकल्प पारित करने के पश्चात, राजस्व विभाग अधिकारी पेरियाकुलम ने यह कहते हुए इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किये कि उन्हे दिशानिर्देशों और क्षेत्रीय निरीक्षण का अध्ययन करने के लिए समय चाहिए। बहुमत अनुमोदन के अनुसार संकल्प पारित किया गया था;

और, मेगामलाई वन्यजीव अभयारण्य श्री विल्लीपूथूर ग्रिज्लड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य और पेरियर बाघ रिजर्व से घिरा हुआ है और इस अभयारण्य में अद्धितीय जैव विविधता है और पश्चिमी घाटों, के दक्षिणी भाग में कई सूक्ष्म पर्यावास हैं। विशेषकर तमिलनाडु और केरल के विशिष्ट जैव विविधता भू-दृश्य के भौगोलिक स्थान हैं;

और, यह पेरियर हाथी रिज़र्व में हाथी संरक्षण कार्यक्रम के लिए महत्त्वपूर्ण भू-दृश्य है और यहां बृहत संटे वन और समीपवर्ती क्षेत्रों से सम्पर्कता होने के कारण इस वन्यजीव अभयारण्य में संकटापन्न प्रजातियों जैसे सफेद गिलहरी, हाथी, बाघ, तेंदुआ, नीलगिरी तहर, गौर, सिंह पुच्छ वानर, की व्यापक विविधता है और इस पर्यावास की विविधता में दुर्लभ पौधों, इनवर्टेब्रेट्स, मछलियों, उभयचरों और सरीसृपों की कई प्रजातियों का संयोजन होता है;

और, मेगामलाई वन्यजीव अभयारण्य में स्थानिक वनस्पतिओं और जीवजंतुओं की कई प्रजातियां है जिसमें वनस्पति और जीवजंतुओं की विविधता है। संरक्षित क्षेत्र में वनस्पति के उदाहरण कुर्लय अबुसन *(अबुसन करीस्पुम* (एल.) मेडीकुस*),* बलीस्टेर करेपेर *(कारदीओस्पेरमुम हेलिकबबुम* एल.), बुट्टेरफ्ली बीअन *(कलीटोरिया टेमटेयिया* एल.), लोल्लीपोप कलीम्बेर *(दीप्लोक्यलोस पलमाटुस* (एल.) सी. जफ्फरेय), आदि; जीवजंतु के उदाहरण नीलगिरी लंगूर (*तेराचयपीथेक्स जोहन्नी*), तुफटेड ग्रे लंगूर (*सेम्नोपिथेकुस परिअम), बाघ*-टेल्ड मकाक्यू *(मकाका सिलेनुस),* लघु पुच्छ वानर *(मकाका रदीअटेपू),*ग्रे तवांगु (*लोरिस लयदेक्केरनुस),*बाघ (*पैंथेरा टाइगरिस*), तेंदुआ (*पेन्थेरा प्रज्घूस*), जंगली बिल्ली *(फेलिस चाउस),* आदि पाए जाते हैं;

और, अभयारण्य में पक्षियों, तितलियों, कीड़े-मकोड़े सरीसृपों की विविधता हैं। पक्षियों के उदाहरण ओरिएटल हनी बजर्ड *(पेरनिस पटीलोरहनचुस),* जेरदोन बजा *(अविकेदा जेरदोनी),* ब्लाक-शॉल्डरेड काइट *(इलानुस केरूलेउस),* सोर्ट-टोइड सॉप-ईगल *(किरकैटूस गल्लीकुस),* लॉग-बिल्लेड गिद्ध*(गयपस इंडिकुस)* आदि है; उभयचरों के उदाहरण मेंढक *(बुफो स्कबेर)),* सामान्य भारतीय टोड *(दुट्टाफरयनुस मेलानूस्टीकटुस),*वाटर स्किप्पर और स्किप्पर मेंढक *(इयफल्यक्टिस चयनोफल्यकटिस),* भारतीय पोंड और ग्रीन मेंढक*(इयफल्यकटिस हेक्दकटयलुस)* आदि है; अभयारण्य में स्थानिक प्रजातियाँ रोज (*अटरोफनेउरा पेंदीयना),* दक्षिणी बर्डविंग *(टरोइदेस मिनोस),* वाइट डिस्क हेज ब्लू *(केलाटोक्या अल्बिदीस्का),*नीलगिरी बाघ *(परांटिका निलगिरीइंसिस)* आदि पाई जाती है;

और, क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का 85% से अधिक क्षेत्र कृषि उपयोग में है और शेष क्षेत्र का प्रयोग पशुपालन और अन्य संबंधित क्रियाकलापों के लिए किया जाता है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा और (1) उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिलनाडु राज्य में मेगामलाई वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर शून्य किलोमीटर (गंडामनूर श्रेणी की पूर्वी सीमा की ओर श्री विल्लीपूथूर ग्रिज्लड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य द्वारा आच्छादित है) से 1.7 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र मेगामलाई वन्यजीव अभयारण्य को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है), के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार मेगामलाई वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर शून्य किलोमीटर (गंडामनूर श्रेणी की पूर्वी सीमा की ओर श्री विल्लीपूथूर ग्रिज्लड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य द्वारा आच्छादित है) से 1.7 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 116.73 वर्ग किलोमीटर है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन उपाबंध-I के रूप में उपाबद्ध है।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमांकन करने वाले संरक्षित क्षेत्र के मानचित्र उपाबंध–II क-ङ के रूप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भू निर्देशांक उपाबंध III की सारणी क और सारणी ख में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के उनके भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले ग्रामों की सूची उपाबंध IVके रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) नगर विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग;

(xii) राजमार्ग; और

(xiii) तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, जल संभर प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह-विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए मानीटर समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.**– (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु यह कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत ग्रह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,

2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों.**- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों नदियों और जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन**.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा;

(ख) पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी;

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी;

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और सैरगाह के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी–पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की

जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरणीय अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट**.- ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों)ईएसएम (का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट**.- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016, द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016, द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016, द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, समय-समय पर यथासंशोधित, प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में यानीय प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए प्रदूषण करने वाले उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात नहीं की जाएंगी ।

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17**) पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन अधिसूचना 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियां के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	वर्णन
(1)	**(2)**	**(3)**
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां ।	(क) सदभावी स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने और व्यक्तिगत उपभोग के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनकों तोड़ने की इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगा; (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल)

		सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालित होंगी ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
8.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों के लिए लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी, जैसे:- परंतु यह कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
10.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु

		और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे।
12.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
13.	फर्मो, निगमो और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
14.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
15.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
18.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
19.	रात्रि में यानिक यातायात की गतिविधि।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
20.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्तारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे, अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण या प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
22.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
23.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से मानीटरी किया जायेगा।
24.	ठोस अपशिष्ट एवं प्रबन्धन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	पारिस्थितिकी-पर्यटन	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।

27.	पोलिथीन थैलों का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
29.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है।
34.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	निम्नीकृत भूमि/ वन / वास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. **मानीटरी समिति-** केंद्रीय सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी अर्थात्.-

1.	जिला कलेक्टर, थेनि जिला, थेनि	अध्यक्ष;
2.	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य;
3.	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
4.	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिकी और पर्यावरण का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
5.	राज्य लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
6.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
7.	वन्यजीव वार्डन, मेगामलाई वन्यजीव प्रभाग, थेनि	सदस्य सचिव।

6. निर्देश–निबंधन:- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन तक के लिए होगा और तत्पश्चात मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) ऐसे क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे अनुसूची में क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम, की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध V** के अनुसार प्रोफार्मा उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय, आदि के आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अध्यधीन होंगे।

[फा0सं0 25/20/2018-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर	मेगामलाई वन्यजीव अभयारण्य सीमा के उत्तरी भाग में गंडामनूर पूर्व आर एफ से अंडीपट्टी, इलूम्मलाई के पूर्व की ओर और दोद्दाप्पानायाकनूर दक्षिण आर एफ जोड़ से आरंभ होती है। यह आर एफ गंडामनूर पूर्व आर एपु और इलूमलाई आर एफ के साथ लगभग 10 मीटर की दूरी पर विस्तृत है। इस अभयारण्य की उत्तरी सीमा में जो कि इलूमलाई आर एफ के साथ 4.2 किलोमीटर मे विस्तृत है और गंडामनूर पूर्व आर एफ के साथ 5.8 किलोमीटर में विस्तृत है।
उत्तर पूर्व	अभयारण्य के उत्तर-पूर्व भाग में गंडामनूर श्रेणी का बहुत कम भाग आता है। यहां सीमा अंडीपट्टी के साथ आरंभ होकर और अभयारण्य के अंत के उत्तरी भाग पर इलूमलाई आर एफ से जुड़ती है। 3.2 किलामीटर में विस्तृत होकर पूर्वी भाग की ओर जाती है।
पूर्व	अभयारण्य की पूर्वी सीमा में गंडामनूर श्रेणी 18.75 किलोमीटर में विस्तृत है। यह भाग इलूमलाई और सूलापुरम आर एफ से बनता है। और यह आर एफ सीमा मदुरई जिला के ग्राम सीमा के निकटवर्ती है। अभयारण्य सीमा के अन्य भाग में केरल सीमा के दक्षिणी भाग से लगभग 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। और यह उत्तरी भाग कि ओर से आरंभ होती है और चीन्नामनूर श्रेणी में समाप्त होती है। यहां

	बन्नाथी पराई आर एफ, को थानची आर एफ और इरसाक्कन्यानूर आर एफ कुम्बू पूर्व श्रेणी और चीन्नामनूर श्रेणी में अभयारण्य की पूर्वी सीमा बनाती है।
दक्षिण पूर्व	दक्षिण पूर्व भाग सीमा की कोई लम्बाई नहीं है जो कि मलियादमपुरई ग्राम से सीरंगीकल मोट्टाई तक गंडामनूर पूर्व आर एफ और मूलाकदई ग्राम से अरूगूवेली ग्राम का अन्य बोर का भाग है। चट समीपवर्ती राजस्व और गंडामनूर पूर्व आर एफ की ग्राम सीमा से होते हुए जाती है।
दक्षिण	इसके बाद सीमा सोलापुरम रिजर्व वन की दक्षिणी सीमा के साथ उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जाती है। और इलूमलाई रिज़र्व वन के दक्षिण पूर्व कोण से मिलती है जो अंडीपट्टी और उसीलाम्पट्टी तालुकों के बीच सामान्य सीमा भी है। इसके बाद सीमा केरल राज्य की सीमा के साथ 19 किलोमीटर से होते हुए जाती है, यह अंत:राज्य रेखा के त्रिजंक्शन बिंदु और पीरमेडू धार सड़क के दक्षिण बिंदु से मिलती है।
दक्षिण पश्चिम	दक्षिण पश्चिम भाग में मयीलादीमपराई ग्राम से पलूथू ग्राम तक लगभग 25 किलोमीटर की दूरी बनाती है। यह गंडामनूर श्रेणी के गंडामनूर पूर्व आर एफ के दक्षिण से उत्तरी भाग की ओर जाती है।
पश्चिम	इसके बाद सीमा पीरमेडू घाट सड़क के साथ उत्तरी-पूवी दिशा की ओर जाती है और इसके बाद मेलगूदलूर रिज़र्व वन की उत्तरी सीमा के साथ जाती है और इसके बाद सीमा शिखर 425 के निकट 520, पंदाराथूरई 404 के निकट, 712, 430, 498, 521 के निकट उत्तरी- पूर्वी और पश्चिमी भागों में जाती है तमिलनाडु वन अधिनियम 1882 की धारा 16 के अधीन अधिसूचित कुंबम घाटी पूर्व रिज़र्व वनों (धोनीकरादू खंड) की पूर्वी अधिसूचित सीमा के साथ उत्तर में जाती है यह आरंभिक बिंदु तक पहुंचती है। इसके बाद यह थेनपलानी और अलगापुरी ग्राम तक इरासक्कन्याकनूर आर एफ की ओर जाती है। यह लगभग 75 किलोमीटर की दूरी में दक्षिण से उत्तरी तक विस्तृत है। और गंडामनूर पूर्व आर एफ की अन्य बीट दक्षिण से उत्तर की ओर लगभग 11 किलोमीटर में जाती है।
उत्तर पश्चिम	इसके बाद सीमा उसीलाम्पट्टी और अंडीपट्टी की सीमान्य तालुक सीमा के साथ उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर जाती है जो कि गंडामनाईकनूर रिज़र्व वन भूमि का पूर्वी भाग भी है यह अंडीपट्टी दक्षिणी ढलान रिज़र्व वन की दक्षिणी सीमा से मिलती है जो कि अंडीपट्टी दक्षिण रिज़र्व वनों का दक्षिण पश्चिम बिंदु है। इसके बाद सीमा अंडीपट्टी दक्षिण ढलान रिज़र्व वनों की दक्षिणी सीमा के साथ पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा की ओर जाती है; जो कि अंडीपट्टी और उसीलाम्पट्टी तालुकों की सामान्य सीमा है और आरंभिक बिंदु से मिलती है।

उपाबंध - II क

मेगामलई वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र

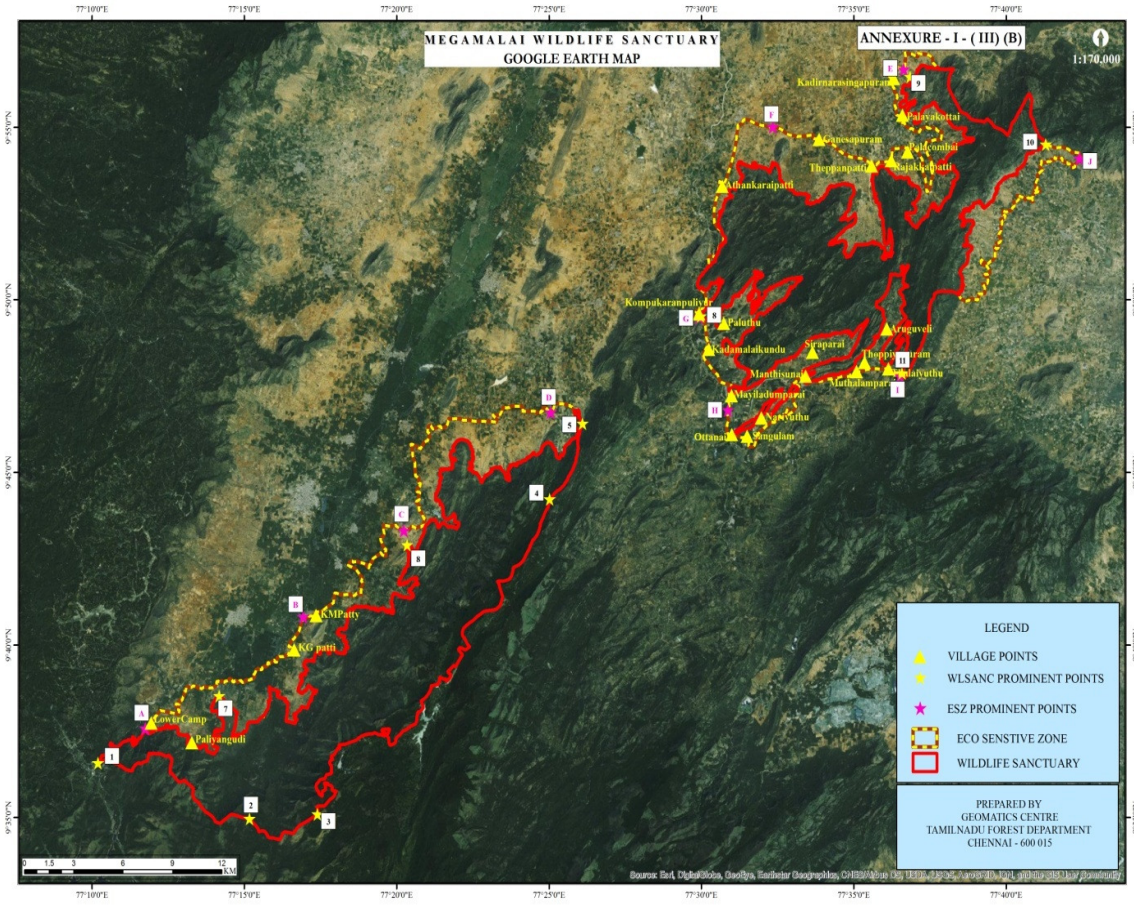

उपाबंध - IIख

मेगामलाई वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानिचत्र

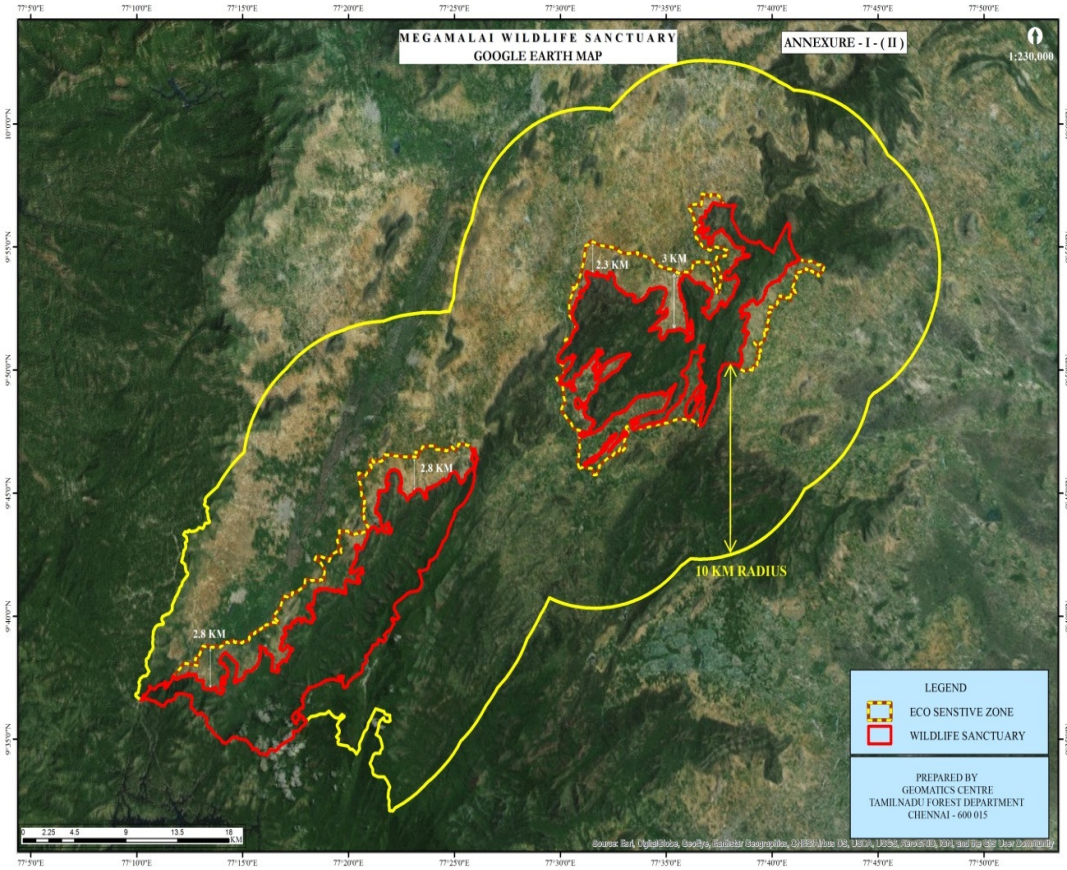

उपाबंध - IIग

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर मेगामलाई वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

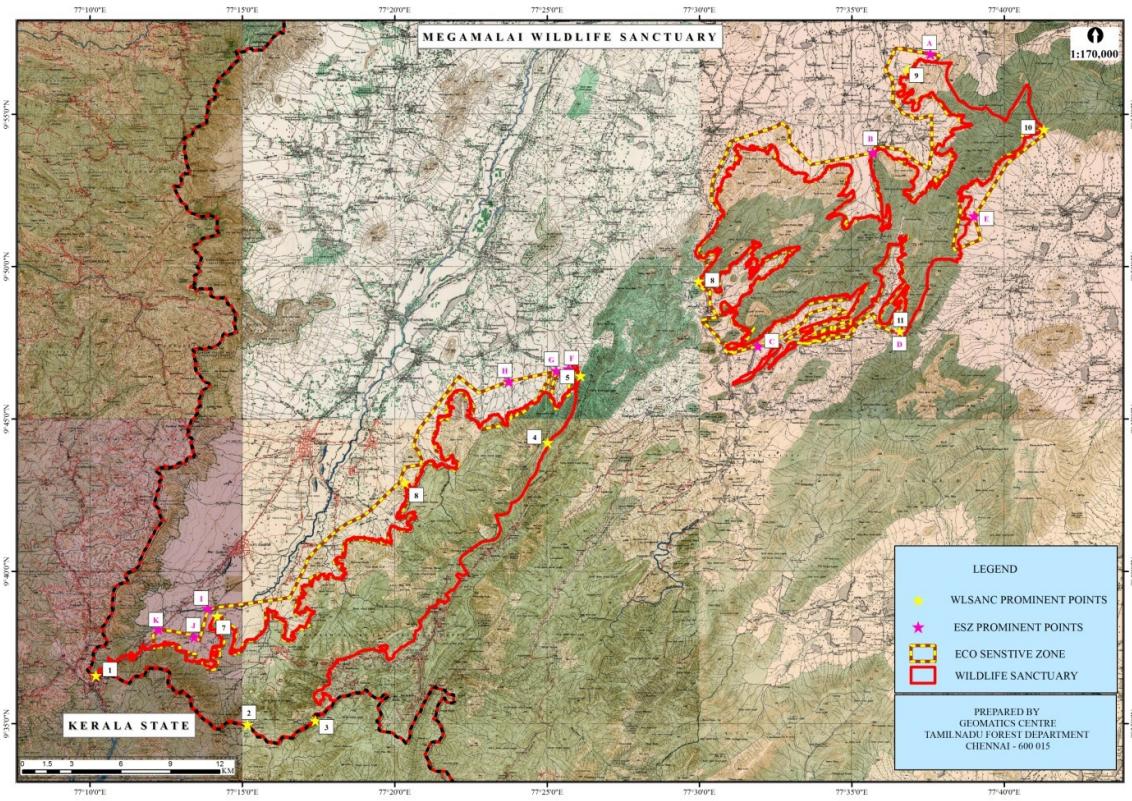

उपाबंध – II घ

10 किलोमीटर बफर के साथ मेगामलाई वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भूमि उपयोग मानचित्र

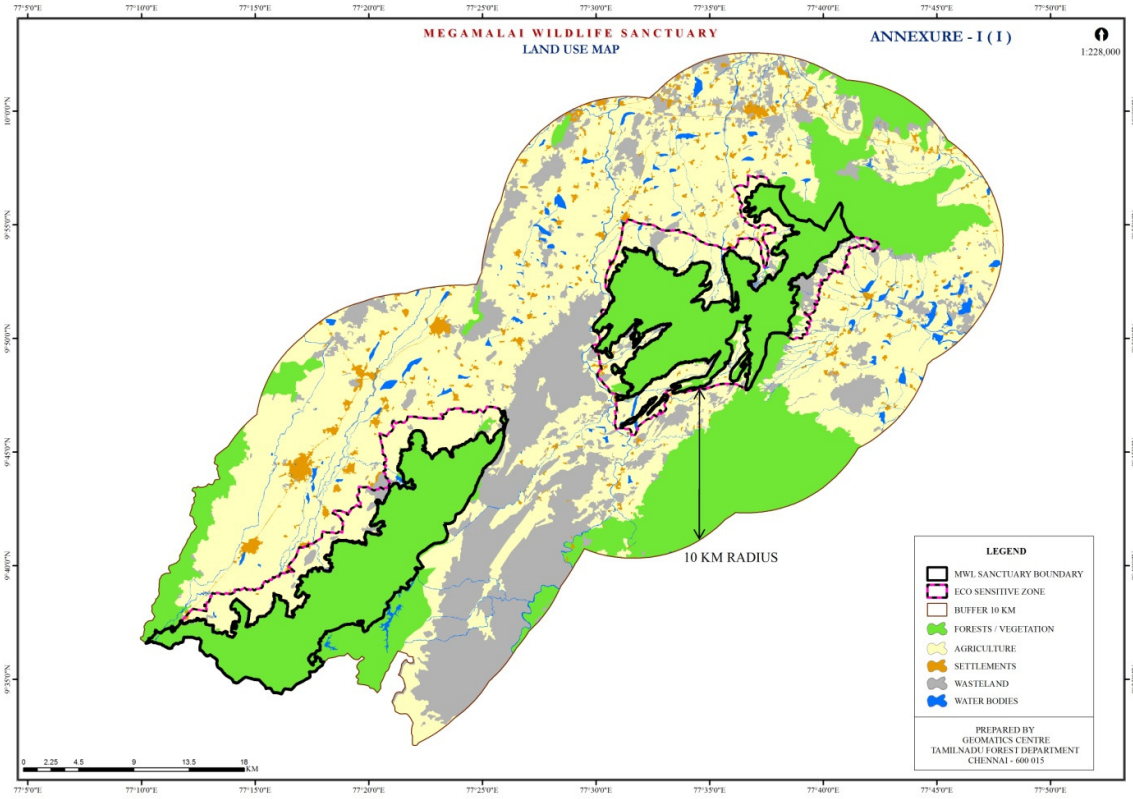

उपाबंध- II ङ.

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ मेगामलाई वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

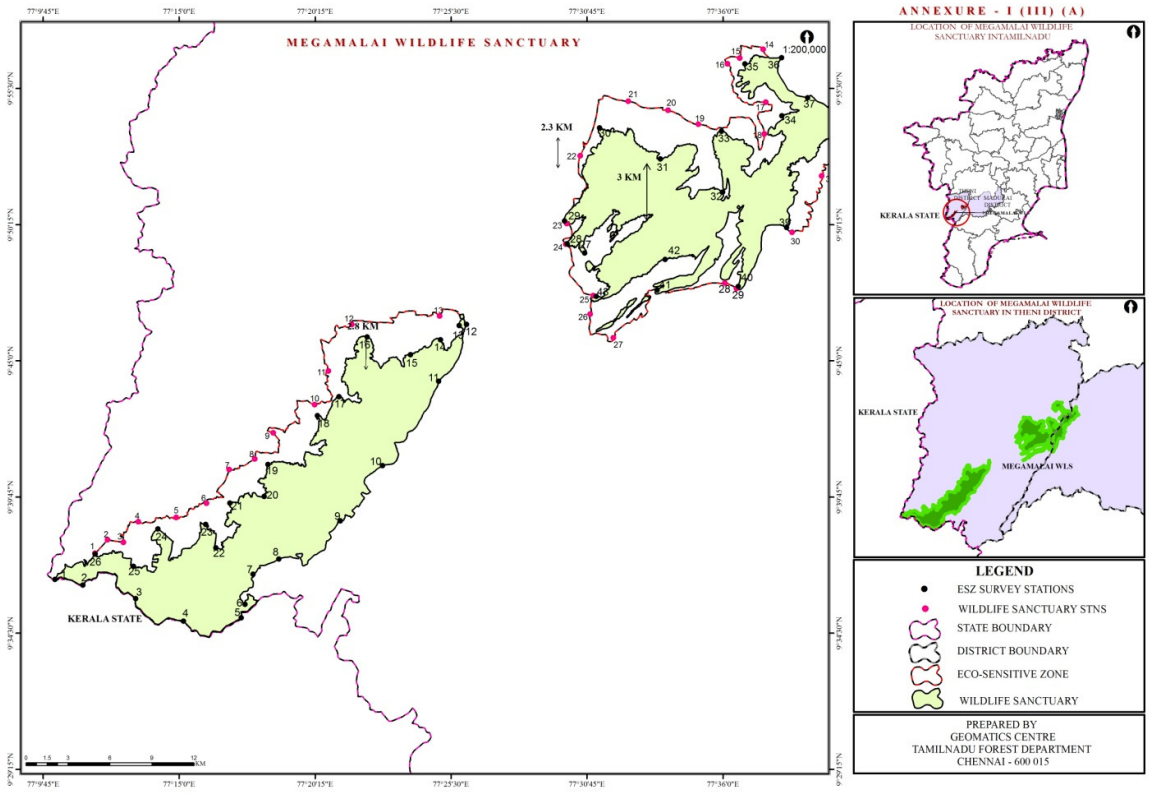

उपाबंध- III

सारणी क : मेगामलाई वन्यजीव अभयारण्य, तमिलनाडु के प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

क्र.सं.	अवस्थान	दूरी (लिंकों में) किलोमीटर	एंगाल/बियरिंग	अक्षांश	देशांतर
1	कुमुली केरला और टी एन जोइन्ट	2.06	पू-(102.42°)	9°36'35"	77°10'12"
2	आरावथी पहाड़ी	3.77	पू -(105.1°)	9°36'21"	77°11'17"
3	मंगलाथेवी टोप	3.55	पू-(115.99°)	9°35'50"	77°13'19"
4	मावादी	4.11	उ पू-(85.73°)	9°34'59"	77°15'11"
5	वट्टापराई	0.97	उ-(10.09°)	9°35'6"	77°17'24"
6	वेंनिया सड़क	2.22	उ-(15.24°)	9°35'38"	77°17'33"
7	महराजमेथु	2.05	उ पू(56.92°)	9°36'47"	77°17'51"
8	वेन्नियार	5.07	उ पू-(57.61°)	9°37'22"	77°18'51"
9	हिष्ववि पावर लाईन	4.87	उ पू-(6.69°)	9°38'50"	77°21'14"
10	मेगामलाई स्टेट सीमा	7.20	उ पू-(36.69°)	9°40'58"	77°22'52"
11	इरासई आर एफ टोप	4.5	उ पू-(25.32°)	9°44'13"	77°25'1"
12	नेअर अलगपुरी ग्राम	0.42	द प-(254.71°)	9°46'25"	77°26'6"
13	शांमुगनाथी पूर्व की ओर	1.62	दप-(231.3°)	9°46'22"	77°25'49"
14	शांमुगनाथी पश्चिमी की ओर	2.34	द प-(243.2°)	9°45'49"	77°25'6"
15	इरासकनयाकनुर आर एफ	3.34	उ प- (292.86°)	9°45'15"	77°23'56"
16	धोनिकरधु आर एफ सीमा	4.65	द प- (205.2°)	9°45'57"	77°22'15"
17	पुवाथुकरादु आर एफ सीमा	2.01	द प- (226.6°)	9°43'38"	77°21'11"
18	सुरूलिफल्लस सड़क	4.9	द प- (224.83°)	9°42'54"	77°20'20"
19	बोडकरादु आर एफ सीमा	2.3	द- (184.92°)	9°41'1"	77°18'26"
20		2.45	द प- (257.1°)	9°39'47"	77°18'17"
21	मिन्नीलायम सड़क	3.4	द- (198.4°)	9°39'31"	77°16'58"
22	कप्पुवमदाइ आर एफ सीमा	1.7	उ- (339.42°)	9°37'48"	77°16'25"
23		3.4	द प- (264.1°)	9°38'42"	77°16'2"
24		3.14	द प- (212.53°)	9°38'32"	77°14'11"
25	पलियांकुदी	2.88	उ प- (288.93°)	9°37'5"	77°13'14"
26	0 बिन्दु	3.34	द प- (236.72°)	9°37'33"	77°11'45"
27	पलौथु	1.41	उ प- (298.65°)	9°49'10"	77°30'40"
28	कोम्बुकरांपुलियर	1.66	उ- (353.49°)	9°49'31"	77°29'59"
29	तनाथुट्टाम	7.05	उ- (19.68°)	9°50'24"	77°29'53"
30	गंदमनुर पूर्व आर एफ	4.81	उ पू- (116.5°)	9°54'0"	77°31'13"
31	विरूमनुथु	4.92	द पू- (117.96°)	9°52'48"	77°33'35"
32	वेलाप्पारकोई	4.24	उ- (0.27°)	9°51'32"	77°35'60"
33	थेप्पांपत्ती	4.48	उ पू- (74.86°)	9°53'52"	77°35'57"
34	पलाकोम्बी	4.33	उ प- (324.28°)	9°54'28"	77°38'16"

35	नरसिंगपुरम	2.57	उपू(81.0°)	9°56'28"	77°36'51"
36	अंदीपट्टु आर एफ जोंनट	3.00	द पू(121.34°)	9°56'41"	77°38'16"
37	इजहुमलाई और अंदीपट्टी आर एफ जोइंट	1.54	द प(212.62°)	9°55'7"	77°39'14"
38	इजहुमलाई आर एफ दक्षिण सीमा	3.78	द पू(107.51°)	9°54'29"	77°41'19"
39	नेअर मल्लापुरम सड़क	9.33	द प(212.67°)	9°50'9"	77°38'25"
40	मल्लापुरम से मयीलादुमपराई सड़क	5.33	द प(217.7°)	9°47'49"	77°36'34"
41	मंथीसुनाई	5.4	प(290°)	9°47'47"	77°33'28"
42	सिराप्पाराई	2.21	द प(193.3°)	9°48'55"	77°33'46"
43	मयीलादुम्पराई	4.27	प(263.6°)	9°48'7"	77°31'56"

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

क्र.सं.	टिप्पणी	दूरी (लिंकों में) किलोमीटर	एंगाल/बियरिंग	उ	पू
1	तंक	-	-	9.94973	77.62649
2	वराधराजपुरम नहर	2.11किलोमीटर	279.26 (प)	9.95293	77.60739
3	राजस्व करादु	7.6किलोमीटर	165.26 (द पू)	9.88674	77.62513
4	अंगलाम्मों कोइल, थेप्पाम्पट्टय	3.44किलोमीटर	286 (प)	9.89573	77.59498
5	गनेसपुरम से आर एफ सड़क (विरूमनौथु)	3.7किलोमीटर	258.52 (दप)	9.88916	77.56113
6	कदमलाईगुंदु सड़क	5.03किलोमीटर	285.9 (प)	9.90178	77.51701
7	पलौथु सड़क नेअर करादु	9.1किलोमीटर	187.91 (द)	9.820287	77.50544
8	मयीलादुम्पराई मौलाकादई सड़क	4.48किलोमीटर	139.71 (द पू)	9.78986	77.5321
9	सिल्लीअम्पुली ओदाइ क्रांसिग सड़क	5.47किलोमीटर	83.61 (पू)	9.795076	77.58178
10	मल्लापुरम सड़क और आर एफ संयुक्त	3.09किलोमीटर	87.80 (पू)	9.79667	77.60947
11	स्टोनी अपशिष्ट (करादु)	7.56किलोमीटर	39.62 (उ पू)	9.84826	77.65381
12	तंक	1.45किलोमीटर	344.47 (उ प)	9.86094	77.65042
13	करादु	6.34किलोमीटर	4.46 (उ पू)	9.90556	77.68834
14	उदाईपट्टी इरासी त्रिजंक्शन बिंदु और मनजाल नाथी मेटल सड़क	-	-	9.77733	77.42844
15	मंजाल्नाथी बांध प्रारंभ	0.44किलोमीटर	193.37 (द)	9.773379	77.42745
16	मंजाल नाथी बांध के पास तामारिंद वृक्ष	0.36किलोमीटर	273.05 (प)	9.7735	77.42418
17	पुथाम्पट्टी सड़क जंक्शन	0.41किलोमीटर	319.72 (उ प)	9.77627	77.4218
18	वेल्लाइमंन ओदाइ ब्रिज	2.91किलोमीटर	257.30 (द प)	9.77047	77.39588
19	सिवां कोइल, सी एम आर और सह श्रेणी संयुक्त सड़क	1.95किलोमीटर	250.18 (द प)	9.7644	77.37899
20	बाहरी शराब कारखाना	1.54किलोमीटर	310.98 (उ प)	9.77333	77.36836
21	नई खदान प्रस्ताव	11.21किलोमीटर	216.83 (द प)	9.69256	77.30669

22	छोटो करादु बोदाकरादु आर एफ के पास	5.57किलोमीटर	217.55 (द प)	9.6524	77.27591
23	वेट्टुकदु सड़क और वइरावांरू संयुक्त (ब्रिज)	4.97किलोमीटर	261.58 (प)	9.6463	77.23113
24	वेट्टुकदु और कंजीमारथु ओदाई	1.95किलोमीटर	194.73 (द प)	9.62879	77.22655
25	कंनागी कोइल, पलियांगुदी सड़क जंक्शन	0.38किलोमीटर	306.37 (उ प)	9.63081	77.22381
26	'ओ' बिंदु लोवर कैम्प	2.21किलोमीटर	282.14 (प)	9.63503	77.20408

उपाबंध- IV

भू-निर्देशांकों के साथ मेगामलाई वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थिति की संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम क्षेत्र की सूची

जिला का नाम	तालुक का नाम	क्र.सं.	ग्राम का नाम	अक्षांश	देशांतर
थेनि	1.उथमपलायम	1	पलियारकुदी	9°37'10"	77°13'17"
		2	लोवर कैम्प	9°37'44"	77°11'56"
	2. अंदीपट्टी	1	नरीयथु	9°46'35"	77°31'58"
		2	अरूगुवेलि	9°49'10"	77°36'5"
		3	पलुथु	9°49'19"	77°30'44"
		4	कोदालियओथु	9°56'46"	77°37'1"
		5	थोप्पियापुरम	9°48'11"	77°35'22"
		6	सिरापराई	9°48'29"	77°33'39"

उपाबंध V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान:—

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में संलग्न करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2019

S.O. 3651(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 4774(E), dated the 10th September, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 10th September 2018;

AND WHEREAS, objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification were considered by the Central Government;

AND WHEREAS, the Megamalai Wildlife Sanctuary lies in the southern Western Ghats falling in the State of Tamil Nadu in the revenue districts of Theni and Madurai between 09^0 37' to 09^0 57' N latitude and between 77^0 11' to 77^0 42' E longitude, total area of Megamalai Wildlife Sanctuary declared is 269.10 square kilometre (26910.815 hectre); declared also as per resolution passed by the committee formed with Revenue Deparment officer Uthamapalayam, Panchayat Union Chairman of Cumbum, Wildlife Warden and an Ecologist on 04.01.2013, at Cumbum Forest Rest House for the public interest and to conserve the forest and again re-resolution passed on 13.01.2013 including for all 21 items; Revenue Department officer Usilampatti and Chairman Elumalai Town Panchayat and Municipal Chairman, Usilampatti on 19.01.2013 passed resolution of 20 items;

AND WHEREAS, for Gandamanur East block, the committee sat on 21.01.2013 in the chamber of District Backward welfare office under the chairmanship of Revenue Deparment officer Periyakulam and attended by elected members of local bodies, Presidents Gandamanayakanur, Theppampatti, Palayakottai and Kadamalaikundu along with Wildlife Warden and Ecologist. After passing resolution, the Revenue Department officer Periyakulam did not sign the resolution stating that he needed time for studying the guidelines and field inspection. As per majority approval the resolution was passed;

AND WHEREAS, the Megamalai Wildlife Sanctuary is the surrounded by the Srivilliputhur Grizzled Squirrel Wildlife Sanctuary and Periyar Tiger Reserve and this Sanctuary has unique habitat of harboring biodiversity and several microhabitats in southern part of Western Ghats, especially the place of two distinct geographical regions of bio diversity landscape Western Ghats of Tamil Nadu and Kerala;

AND WHEREAS, it is an important landscape for elephant conservation programme in Periyar Elephant Reserve and owing to its large contiguous forests and connectivity with adjoining protected areas, this wildlife Sanctuary has wide varieties of endangered species such as Grizzled Squirrel, Elephant, Tiger, Leopard, Nilgiri tahr, Gaur, Lion Tailed Macaque, etc. And the diversity of habitat has got an assemblage of several species of rare plants, invertebrates, fishes, amphibians and reptiles;

AND WHEREAS, the Megamalai Wildlife Sanctuary has several species of endemic flora and fauna, which has diversity of flora and fauna, examples of flora found in the protected area are Curly abutilon *(Abutilon crispum* (L.) Medikus), Blister creeper *(Cardiospermum helicababum* L.), Butterfly Bean *(Clitoria ternatea*L.), Lollipop Climber *(Diplocyclos palmatus* (L.) C. Jeffrey), etc.; examples of fauna are Nilgiri Langur (*Semnopithecus johnii),* Tufted Grey Langur (*Semnopithecus priam),* Lion-tailed Macaque *(Macaca silenus),*Bonnet Macaque *(Macaca radiate),* Grey Slender Loris (*Loris lydekkerianus),*Tiger *(Panthera tigris),*Leopard *(Panthera pardus),*Jungle Cat (*Felis chaus),* etc.;

AND WHEREAS, the sanctuary has variety of birds, butterflies, insects, reptiles, examples of birds are Oriental Honey-Buzzard *(Pernis ptilorhynchus),*Jerdon's Baza*(Aviceda jerdoni),* Black-shouldered Kite*(Elanus caeruleus),*Short-toed Snake-Eagle*(Circaetus gallicus),*Long-billed Vulture*(Gyps indicus)*etc; examples of amphibians are Ferguson's Toad *(Bufo scaber),* Common Indian Toad *(Duttaphrynus melanostictus),* Water Skipper or Skipper Frog *(Euphlyctis cyanophlyctis),* Indian Pond or Green Frog *(Euphlyctis hexadactylus),* etc. and endemic species found in the Sanctuary are Malabar Rose (*Atrophaneura pandiyana),* Southern Birdwing *(Troides minos),*White Disc Hege Blue *(Celatoxia albidisca),* Nilgiri Tiger *(Parantica nilgiriensis),* etc.;

AND WHEREAS, the important economy of the area is primarily agriculture, more than 85% of the Eco-sensitive Zone area is in agricultural use and remaining areas are used for animal husbandry and other related activities;

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent varying from zero kilometre (towards the eastern

boundary Gandamanur range covered by the Srivilliputhur Grizzled Squirrel Wildlife Sanctuary) to 1.7 kilometre around the boundary of the Megamalai Wildlife Sanctuary in the State of Tamil Nadu as the Megamalai Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (here after referred to as the Eco-sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. - (1) The extent of the Eco-sensitive Zone varies from zero kilometer (towards the eastern boundary Gandamanur range covered by the Srivilliputhur Grizzled Squirrel Wildlife Sanctuary) to 1.7 kilometer around the Megamalai Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-Sensitive Zone is 116.73 square kilometers.

(2) The boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure I.**

(3) The maps of the Protected Area demarcating the Eco-sensitive Zone boundary are appended as **Annexures IIA-E.**

(4) The geo co-ordinates of the boundary of the Protected Area and the Eco-sensitive Zone are given in Table A and Table B of **Annexure III** respectively.

(5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure IV**.

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone. - (1) The State Government shall, for the purpose of effective management of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of competent authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating environmental and ecological considerations into the said plan: -

(1) Environment;
(2) Forest and Wildlife;
(3) Agriculture;
(4) Revenue;
(5) Urban Development;
(6) Tourism;
(7) Rural Development ;
(8) Irrigation and Flood Control;
(9) Municipal;
(10) Panchayati Raj;
(11) Public Works Department;
(12) Highways; and
(13) Tamil Nadu State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in table and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use. – (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified in clause (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Central Government or State Government as applicable and vide provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities and given in paragraph 4;

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies. - The catchment areas of all natural springs, rivers or channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or eco-tourism

(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests;

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artifacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution. –** Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made there under.

(8) **Discharge of effluents. -** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental Act and rules made thereunder or standards stipulated by State Government, whichever is more stringent.

(9) **Solid wastes. -** Disposal and management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste. -** Bio-medical waste management shall be as under: -

(a) the bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number GSR 343 (E), dated the 28th March,2016 as amended from time to time.

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of biomedical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(11) **Plastic waste management**.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and demolition waste management**. - The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **E-waste**. - The e-waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) **Vehicular pollution.** - Prevention and control of vehicular pollution shall be carried out in accordance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuel like CNG, LPG, etc.

(16) **Industrial units.-** (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification and in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of hill slopes.-** The protection of hill slopes shall be as under: -

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act, and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife(Protection) Act 1972 (53 of 1972) and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl.No.	Activity	Description
(1)	**(2)**	**(3)**
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals) stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bonafide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumalpd Vz. UOI in W.P. (C) No. 202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation z. UOI in W.P. (C) No. 435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (water, air, soil, noise, etc).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification and in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	B. Regulated Activities	
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.

Sl.No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
9.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
11.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
12.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
13.	Establishment of large scale commercial live stock and poultry farms by firms, corporates, companies.	Regulated under applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (Underground cabling may be promoted).
15.	Infrastructure civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules, regulations and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules, regulations and available guidelines.
17.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, microlites, etc.	Regulated under applicable laws.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
21.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water, otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.

Sl.No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
23.	Open well, bore well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated under applicable laws and the activity shall be strictly monitored by the authority.
24.	Solid waste management.	Regulated under applicable laws.
25.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
	C. Promoted Activities	
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc .	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
34.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
36.	Skill development.	Shall be actively promoted.
37.	Restoration of degraded land/forests/habitats.	Shall be actively promoted.
38.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.
39.	Plantation of horticulture and herbals	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.—

The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this notification, comprising of the following namely:—

1.	District Collector, Theni District, Theni	Chairman;
2.	A representative of Non-Government Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
3.	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
4.	An expert in Ecology and Environment to be nominated by the State Government	Member;
5.	A representative from the State Public Works Department	Member;
6.	A representative from the State Pollution Control Board	Member;
7.	Wildlife Warden, Megamalai Wildlife Division, Theni	Member- Secretary.

6. Terms of Reference.— (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the Monitoring new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring

Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per Performa given in Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures.—The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. orders. —The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/20/2018-ESZ]

DR SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA

North	In northern part of Megamalai Wildlife Sanctuary boundary started from Gandamanur east RF towards east to Andipatty, Elummalai and Doddappanayakanur South RF Joint. It is extended about 10m distance along to the RF Gandamanur East RF and Elumalai RF. In northern boundary of this Sanctuary which is consisting of 4.2 km extended along the Elumalai RF and 5.8 km extented along with Gandamanur East RF.
North East	In the north-east part of the Sanctuary consisting in very less portion of Gandmanur range. Here The boundary started with Andipatti and Elumalai RF Joints on the norther portion of the Sanctuary end. Towards eastern side extending to 3.2km.
East	In the Eastern boundary of Sanctuary extended 18.75km in gandamanur range. This part is consisting of Elumalai and Sulapuram RF. And these RF boundary adjacent to the Village boundary of mudurai district. In other part of the Sanctuary boundary extended about 35km from Kerala Boundary of Southern side. And it starts towards northersn side and anding in chinnamanur range. There was Vannathiprai RF, Koothanachi RF and Erasakkanayakanur RF consisting the eastern boundary of Sanctuary in Cumbu East ange and Chinnamanur Range.
South East	The South east portion boundary is not elongated which part of gandamanur east RF from Mayiladumparai village to Sirangikal mottai and another bit of mulakadai village to Aruguveli village. It runs through adjacent revinue and village boundary of Gandamanur east RF
South	Thence the boundary runs generally towards North west Direction along the southern boundary of Soolapuram Reserved Forests and meets the south east corner of Elumalai Reserved Forests which is also the common boundary between Andipatty and Usilampatty Taluks. Thence boundary runs, through the 19km, along the Kerala state boundary till it meet trijunction point of interstate lines and southern point of Peermedu Ghat road.
South West	In South west part consisting about 25km distance from Mayiladimparai village to paluthu village. It is running towards from south to norther side of the gandamanur east RF of Gandamanur Range.
West	Thence boundary runs towards northern-eastern direction along the Peermedu Ghat road and thence along the northern boundary of Melagudalur Reserved Forests and thence the boundary runs in northern-eastern and western sides along the peak 425 near 520, near Pandarathurai 404, near 712, 430, 498, 521 runs generally north along the eastern notified boundary of Cumbum Valley east Reserved Forests (Dhonikaradu Block) notified under section 16 of the Tamil Nadu Forest Act 1882 till to meet the starting point. Thence it is running towards erasakkanayakanur RF till the thenpalani or Alagapuri village. This is extened about 75 km distance going through from south to northern wards. And another bit of Gandamanur east RF consisting about 11km running towards south to north.
North West	Thence the boundary runs generally towards north and north east direction along the common taluk boundary of Usilampatty and Andipatty which is also the eastern side of Gandamanaickanur Reserved Forests land till it meets the southern boundary of Andipatty southern slopes Rserved Forests, which is the south west point of Andipatty south Reserved Forests. Hence the boundary runs generally towards east and north east direction along the southern boundary of Andipatty south slope Reserved Forests, which is the common boundary of Andipatty and Usilampatty taluks and meets the starting point.

ANNEXURE- IIA

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF MEGAMALAI WILDLIFE SANCTUARY

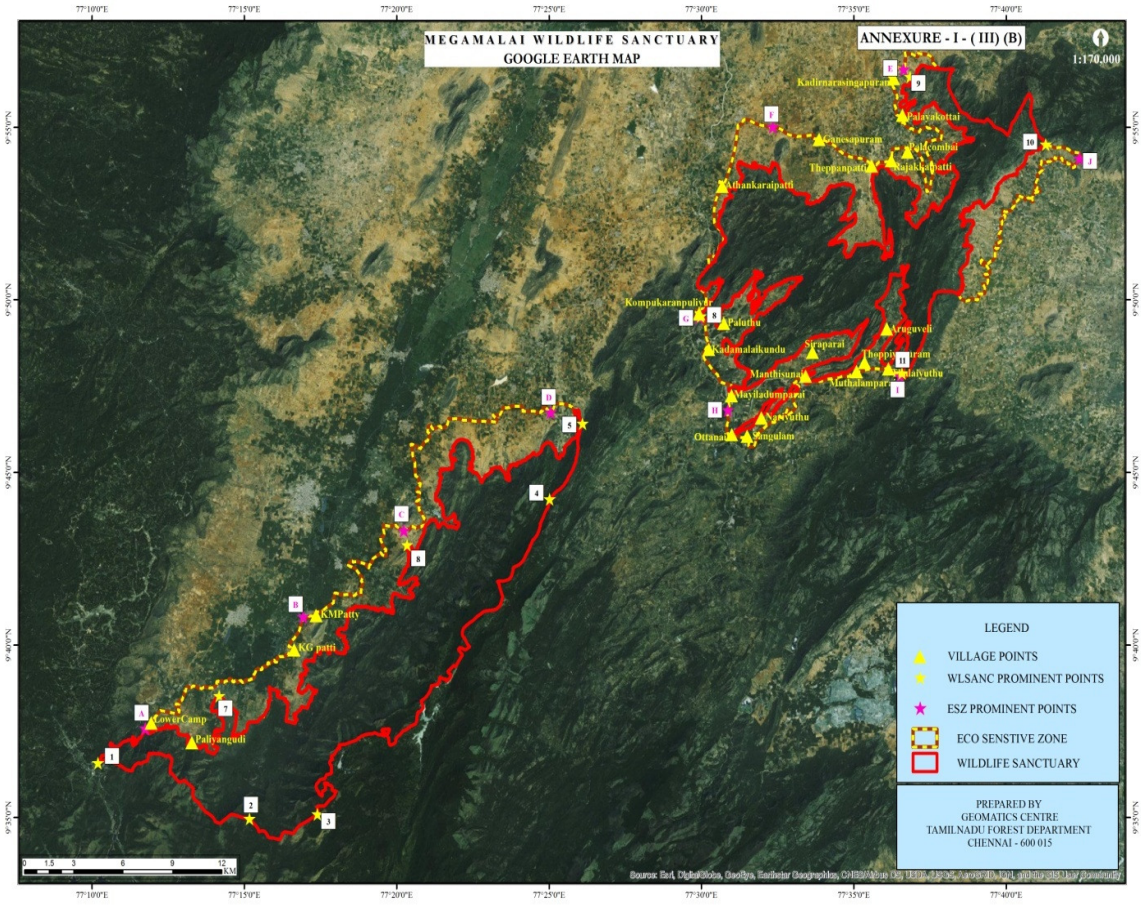

ANNEXURE- IIB

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF MEGAMALAI WILDLIFE SANCTUARY

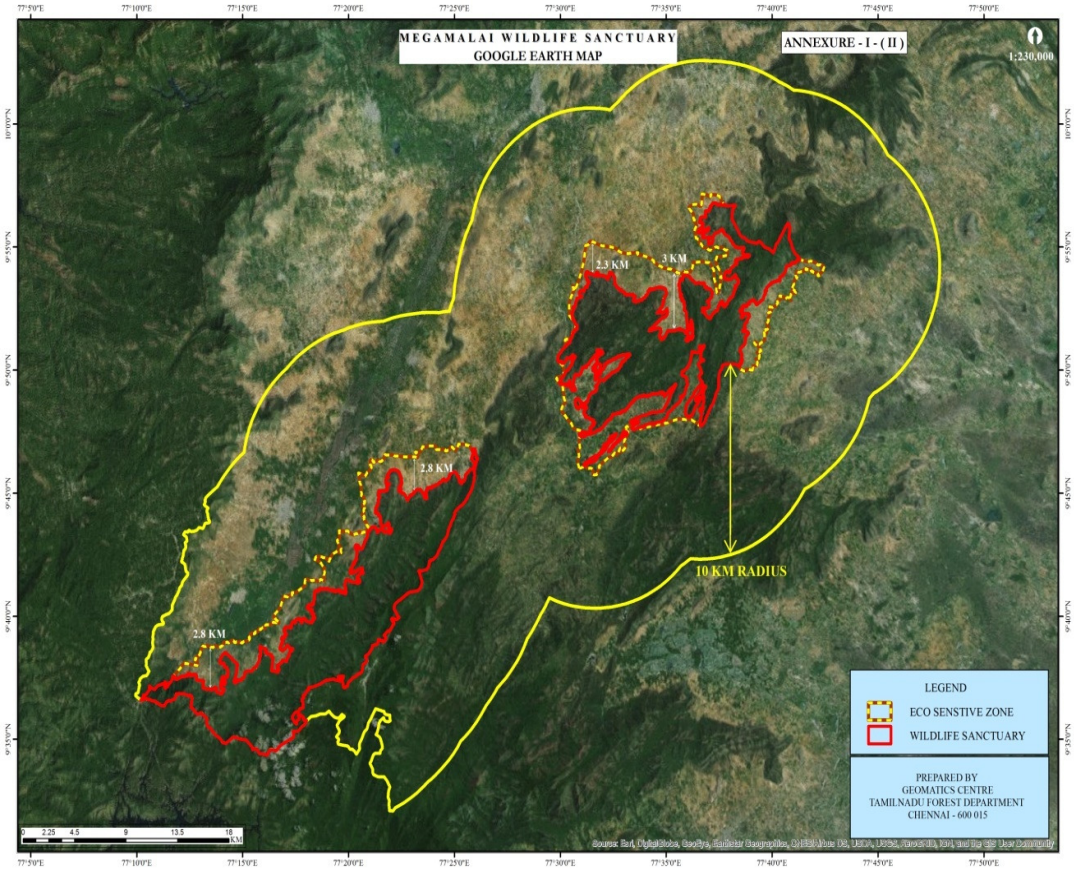

ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF MEGAMALAI WILDLIFE SANCTUARY ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET

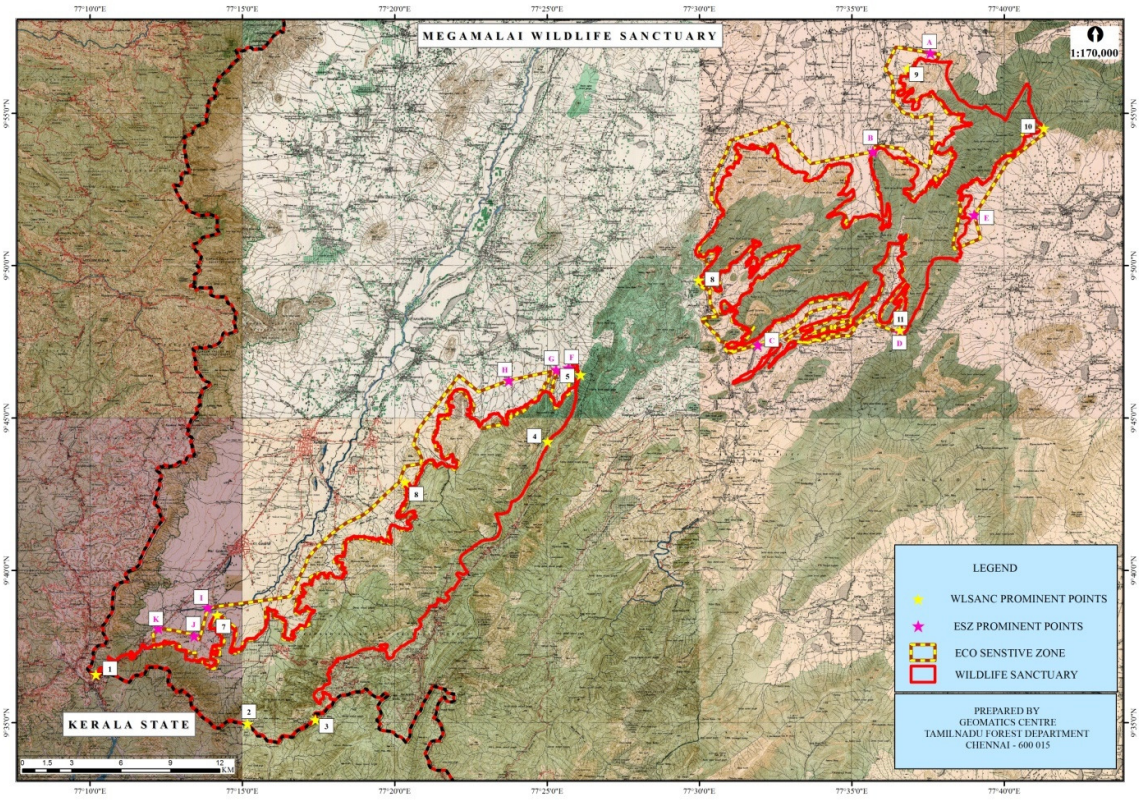

ANNEXURE- IID

LANDUSE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF MEGAMALAI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH 10 KM BUFFER

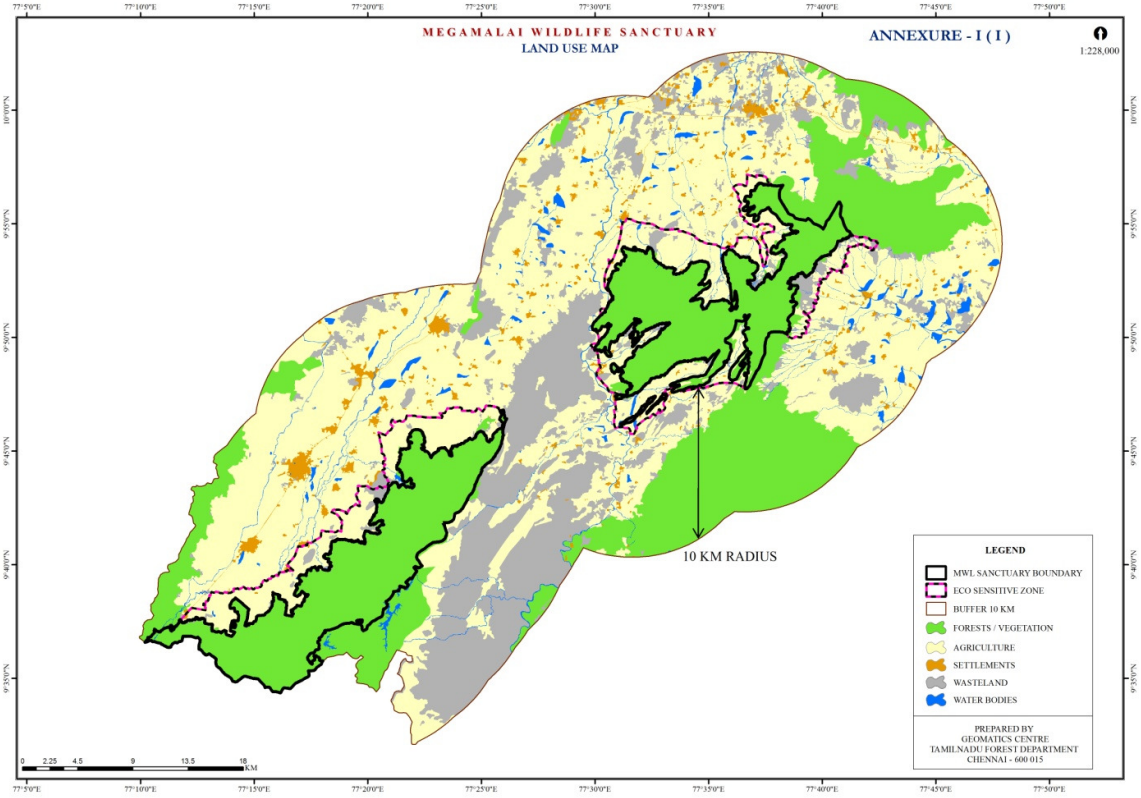

ANNEXURE- IIE

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF MEGAMALAI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

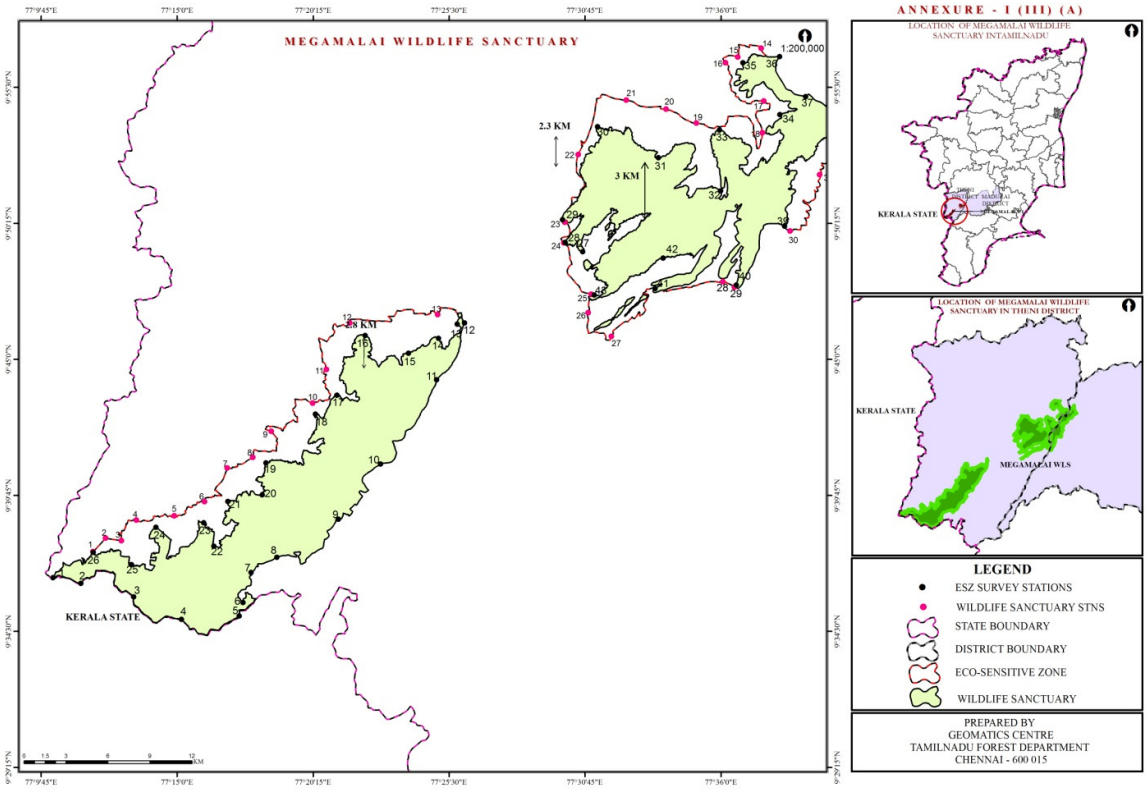

ANNEXURE-III

TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Megamalai Wildlife Sanctuary, Tamil Nadu

S.No.	Location	Distance (in links) KM	Angle /Bearing	Lat	Long
1	Kumuli Kerala and TN Joint	2.06	E-(102.42°)	9°36'35"	77°10'12"
2	Amaravathi Hill	3.77	E -(105.1°)	9°36'21"	77°11'17"
3	Mangalathevi Top	3.55	E-(115.99°)	9°35'50"	77°13'19"
4	Mavadi	4.11	NE-(85.73°)	9°34'59"	77°15'11"
5	Vattaparai	0.97	N-(10.09°)	9°35'6"	77°17'24"
6	Venniyar Road	2.22	N-(15.24°)	9°35'38"	77°17'33"
7	Maharajamettu	2.05	NE(56.92°)	9°36'47"	77°17'51"
8	Venniyar	5.07	NE-(57.61°)	9°37'22"	77°18'51"
9	Highwavys Power line	4.87	NE-(6.69°)	9°38'50"	77°21'14"
10	Megamalai Estate boundary	7.20	NE-(36.69°)	9°40'58"	77°22'52"
11	Erasai RF Top	4.5	NE-(25.32°)	9°44'13"	77°25'1"
12	Near Alagapuri Village	0.42	SW-(254.71°)	9°46'25"	77°26'6"
13	Shanmuganathi East side	1.62	SW-(231.3°)	9°46'22"	77°25'49"
14	Shanmuganathi West Side	2.34	SW-(243.2°)	9°45'49"	77°25'6"
15	Erasakanayakanur RF	3.34	NW- (292.86°)	9°45'15"	77°23'56"
16	Dhonikaradu RF Boundary	4.65	SW- (205.2°)	9°45'57"	77°22'15"
17	Puvathukaradu RF Boundary	2.01	SW- (226.6°)	9°43'38"	77°21'11"
18	Surulifalls Road	4.9	SW- (224.83°)	9°42'54"	77°20'20"
19	Bodakaradu RF Boundary	2.3	S- (184.92°)	9°41'1"	77°18'26"
20		2.45	SW- (257.1°)	9°39'47"	77°18'17"
21	Minnilayam Road	3.4	S- (198.4°)	9°39'31"	77°16'58"
22	Kappuvamadai RF Boundary	1.7	N- (339.42°)	9°37'48"	77°16'25"
23		3.4	SW- (264.1°)	9°38'42"	77°16'2"
24		3.14	SW- (212.53°)	9°38'32"	77°14'11"
25	Paliyankudi	2.88	NW- (288.93°)	9°37'5"	77°13'14"
26	0 point	3.34	SW- (236.72°)	9°37'33"	77°11'45"
27	Paloothu	1.41	NW- (298.65°)	9°49'10"	77°30'40"
28	Kombukaranpuliyur	1.66	N- (353.49°)	9°49'31"	77°29'59"
29	Tanathottam	7.05	N- (19.68°)	9°50'24"	77°29'53"
30	Gandamanur East RF	4.81	NE- (116.5°)	9°54'0"	77°31'13"
31	Virumanuthu	4.92	SE- (117.96°)	9°52'48"	77°33'35"
32	Velapparkoil	4.24	N- (0.27°)	9°51'32"	77°35'60"
33	Theppanpatti	4.48	NE- (74.86°)	9°53'52"	77°35'57"
34	Palacombai	4.33	NW- (324.28°)	9°54'28"	77°38'16"
35	Narasingapuram	2.57	NE(81.0°)	9°56'28"	77°36'51"
36	Andipattu RF Joint	3.00	SE(121.34°)	9°56'41"	77°38'16"
37	Ezhumalai and Andipatti RF Joint	1.54	SW(212.62°)	9°55'7"	77°39'14"
38	Ezhumalai RF South Boundary	3.78	SE(107.51°)	9°54'29"	77°41'19"
39	Near Mallapuram Road	9.33	SW(212.67°)	9°50'9"	77°38'25"
40	Mallapuram to Mayiladumparai Road	5.33	SW(217.7°)	9°47'49"	77°36'34"
41	Manthisunai	5.4	W(290°)	9°47'47"	77°33'28"
42	Sirapparai	2.21	SW(193.3°)	9°48'55"	77°33'46"
43	Mayiladumparai	4.27	W(263.6°)	9°48'7"	77°31'56"

TABLE B: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Eco-Sensitive Zone

S.No	Remark	Distance (in links) KM	Angle /Bearing	N	E
1	Tank	-	-	9.94973	77.62649
2	varadharajpuram canal	2.11 Km	279.26 (W)	9.95293	77.60739
3	Revenue Karadu	7.6 Km	165.26 (SE)	9.88674	77.62513
4	Angalamman Koil, theppampatty	3.44 KM	286 (W)	9.89573	77.59498
5	ganesapuram to RF Road (Virumanoothu)	3.7 Km	258.52 (SW)	9.88916	77.56113
6	Kadamalaigundu Road	5.03 KM	285.9 (W)	9.90178	77.51701
7	Paloothu Road near karadu	9.1 KM	187.91 (S)	9.820287	77.50544
8	Mayiladumparai-moolakadai road	4.48 KM	139.71 (SE)	9.78986	77.5321
9	silliampuli odai crossing road	5.47 KM	83.61 (E)	9.795076	77.58178
10	Mallapuram road and RF Joint	3.09 KM	87.80 (E)	9.79667	77.60947
11	Stoany waste(Karadu)	7.56 KM	39.62 (NE)	9.84826	77.65381
12	Tank	1.45 KM	344.47 (NW)	9.86094	77.65042
13	Karadu	6.34 KM	4.46 (NE)	9.90556	77.68834
14	Odaipatti Erasai, try junction point and manjal nathi metal road	-	-	9.77733	77.42844
15	manjalnathi bund start	0.44 KM	193.37 (S)	9.773379	77.42745
16	Manjal nathi dam near Tamerind tree	0.36 KM	273.05 (W)	9.7735	77.42418
17	Puthampatti road junction	0.41 KM	319.72 (NW)	9.77627	77.4218
18	Vellaiman Odai Bridge	2.91 KM	257.30 (SW)	9.77047	77.39588
19	Sivan koil, CMR and Cum range joint road	1.95 KM	250.18 (SW)	9.7644	77.37899
20	Wine factory outer	1.54 KM	310.98 (NW)	9.77333	77.36836
21	new Quarry proposal	11.21 KM	216.83 (SW)	9.69256	77.30669
22	Small Karadu near Bodakaradu RF	5.57 KM	217.55 (SW)	9.6524	77.27591
23	Vettukadu road and Vairavanaru joint (Bridge)	4.97 KM	261.58 (W)	9.6463	77.23113
24	Vettukadu and kanjimarathu Odai	1.95 KM	194.73 (SW)	9.62879	77.22655
25	Knnagi koil, paliyangudi Road Junction	0.38 KM	306.37 (NW)	9.63081	77.22381
26	‘0' Point lower camp	2.21 Km	282.14 (W)	9.63503	77.20408

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGE AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF MEGAMALAI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

Name of District	Name of Taluk	S. No	Name of the Villages	Lat	Long
Theni	1.Uthamapalayam	1	Paliyarkudi	9°37'10"	77°13'17"
		2	Lower Camp	9°37'44"	77°11'56"
	2. Andipatti	1	Nariyuthu	9°46'35"	77°31'58"
		2	Aruguveli	9°49'10"	77°36'5"
		3	Paluthu	9°49'19"	77°30'44"
		4	Kodaliyuothu	9°56'46"	77°37'1"
		5	Thoppiyapuram	9°48'11"	77°35'22"
		6	Siraparai	9°48'29"	77°33'39"

ANNEXURE-V

Performa of Action Taken Report:—

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.10.16 12:19:32 +05'30'